कार्यसूची मद संख्या 6 का नोट

<u>जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत टेक्नीकल एडवाइज़री ग्रुप</u>

शहरी गरीबी व बुनियादी ढांचे को प्रमुखता देते हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन - जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का आरंभ देश में आर्थिक रूप से उत्पादक, दक्ष, न्यायसंगत तथा उत्तरदायी शहरों के निर्माण के प्रमुख उद्देश्य के साथ 3 दिसम्बर 2005 को किया गया था। यह अब तक सबसे बड़ा राष्ट्रीय शहरी प्रयास है और 7 वर्षों की अवधि में 50,000 करोड़ रूपये की केन्द्र सरकार की सहायता प्रदान करता है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में दो उप-मिशन शामिल हैं, एक शहरी बुनियादी ढांचा व शासन और दूसरा शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाएं।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. की एक प्रमुख विशेषता नागरिक-भागीदारी है। वास्तव में, अभियान की समग्र रूपरेखा में नागरिक-भागीदारी अंतर्निहित है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की समग्र योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने का एक उपाय राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सोसायटी के सदस्यों से बना सलाहकारी समूह (टेक्नीकल एडवाइजरी ग्रुप – टी.ए.जी.) का निर्माण करना तथा शहरी स्तर पर शहरी स्वैच्छिक तकनीकी कार्पस (सिटी वालेंटीयर टेक्नीकल

कार्पस - सी.वी.टी.सी.) तथा उनके कोआर्डिनेटिंग ग्रुप (सी.जी.सी.) का निर्माण करना है।

वर्ष 2005-2006 में अभियान के आरंभ से ही नेशनल टेक्नीकल एडवायजरी ग्रुप (टी.ए.जी.) का एक अभिन्न अंग रहा है। यह दोनों उप-अभियानों के लिए है अर्थात शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचा व शासन तथा आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाएं)।

टी.ए.जी. की प्रमुख भूमिका सामुदायिक भागीदारी को प्राप्त करने, पारदर्शिता व जवाबदेही बनाए रखने, सेवा-प्रदान करने तथा शासन में नागरिकों को शामिल करने के मार्गों हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति समूह, अभियान निदेशालय तथा केन्द्रीय अनुमोदन व देखरेख समिति, राज्य स्तरीय संचालन समितियों तथा शहरी स्थानीय निकायों को सलाह देना; अभियान में शामिल प्रत्येक शहर में स्वैच्छिक तकनीकी कार्पस का निर्माण करने में मदद करना; शहरी शासन में सुधारों के लिए सिविल सोसायटी व चुने गए प्रतिनिधियों की सहायता को गतिशील बनाना; तथा वार्ड समितियों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर प्राप्त नागरिकों की भागीदारी की, क्षेत्र सभाओं तथा स्वैच्छिक तकनीकी कार्पस की मदद के साथ-साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधार स्थितियों की देखरेख करना, विशेषतया जो उनकी पारदर्शिता तथा भागीदारी अर्थात् सामुदायिक भागीदारी व जन-प्रकटन नियम से संबंधित है। इस संदर्भ में, करने की बजाय कहना

आसान है जहां शहरी शासन में नागरिकों की भागीदारी की औपचारिकताएं और प्रयास प्रक्रिया के भाग के रूप में पेश किया जाना है तथा सुधार-कार्यसूची के साथ चलाना है।

1. शहरी स्वैच्छिक तकनीकी कार्पस (सिटी वॉलेंटियर टेक्नीकल कार्पस – सी.वी.टी.सी.)

सी.वी.टी.सी. तथा सी.जी.सी. की परिकल्पना जे.एन.एन.यू.आर.एम. से संबंधित गतिविधियों के विषय में स्वायत्तता से सलाह देने में शहरी स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनिवार्य अंग के रूप में की गई है। सी.वी.टी.सी. तथा सी.जी.सी. का गठन दोनों उप-अभियानों के लिए टी.ए.जी. के मार्ग निर्देशों के अनुसार समस्त 65 शहरी निगमों के द्वारा औपचारिक ढांचे के रूप में किया जाना चाहिए। शहरी स्तर पर दोनों ढांचे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टस) तैयार करने में, शहरी संसाधन केन्द्र की स्थापना में, सुधारों के कार्यान्वयन में तथा सी.डी.पी. को एक जीवंत दस्तावेज बनाने में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

सी.वी.टी.सी. 9 विषय-क्षेत्रों में कार्य करेगा जो कि शहरी शासन, शहरी इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन, शहरी गरीबी, शहरी वित्तीय सेवाएं (आवास वित्त सहित), धरोहर एवं शहरी पर्यावरण, कानूनी-सेवाएं/कानूनी सलाहकार तथा सामाजिक अंकेक्षण/सामुदायिक विकास में विस्तृत रूप से

वर्गीकृत है।

अब तक टी.ए.जी. ने 11 शहरों में सी.वी.टी.सी. – सी.जी.सी. की स्थापना करने में सुविधा उपलब्ध कराई जिसमें निम्नलिखित शहर शामिल है:

मदुरै, कोयंबटूर, पटना, सूरत, राजकोट, वाराणसी, रांची, रायपुर, पुडुचैरी, जयपुर तथा पिपंरी छिंछवाड़।

2. **सामुदायिक भागीदारी कोष (कम्युनिटी पार्टीसिपेशन फंड-सी.पी.एफ.)**

   टी.ए.जी. का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास सामुदायिक भागीदारी कोष है, इस कोष का प्रमुख उद्देश्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के सहयोग से सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करना है। सी.पी.एफ. के अंतर्गत पूर्व अनुमोदित 90 करोड़ रूपयों के लगभग 1000 सामुदायिक परियोजनाओं हेतु व्यवस्था है।

   दीर्घकाल में, इससे शहर की कार्य-प्रणालियों में सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि होनी चाहिए जो सामुदायिक परिसंपत्तियों के स्वामित्व की भावना विकसित करने तथा समुदाय-आधारित कार्यों के लिए उत्तरदायित्व लेने में उनको सक्षम बनाएगी।

अब तक मिशन में शामिल 8 शहरों (अर्थात् मैसूर, कोलकत्ता, गुवाहाटी, बैंगलौर, भोपाल, कानपुर, मदुरै तथा फरीदाबाद) में इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत हो गई है।

ये परियोजनाएं निम्नलिखित प्रकार की है;

- बहुउद्देशीय नागरिक केन्द्र
- ठोस कचरा प्रबंधन
- स्थानीय सब्जी-मंडी का नवीकरण
- सामुदायिक जल-केन्द्र
- स्थानीय झील का नवीकरण तथा पुनर्जीवन
- म्युनिसिपल सेवा केन्द्र
- वर्षा-जल संचयन
- बायो-मेथानेशन

3. सामुदायिक भागीदारी तथा जन-प्रकटन नियम (कम्युनीटी पार्टिसिपेशन तथा पब्लिक डिसक्लोजर लॉज)

राज्य स्तर पर सामुदायिक भागीदारी व जन प्रकटन नियम अनिवार्य सुधार है;

सामुदायिक भागीदारी नियम का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से म्युनिसिपल सरकारों को मजबूत करना है:-

- नागरिक भागीदारी को संस्थागत करके,
- क्षेत्र-सभाओं को आरंभ करके (मतदान केन्द्र पर पंजीकृत समस्त मतदाताओं से बनी) तथा
- म्युनिसिपल कार्य-प्रणालियों जैसे प्राथमिकताओं का निर्धारण, बजट-प्रावधान, विद्यमान नियमों के पालन के लिए दबाव डालना आदि में नागरिकों को शामिल करना।

यू.एल.बी. व पैरास्टेटल एजेन्सियों की मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना के निर्माण तथा समस्त भागीदारों को तिमाही कार्य-प्रदर्शन सूचना जारी करने की सुनिश्चितता के लिए जन-प्रकटन नियम लागू किया जाता है। जन-प्रकटन नियम का उद्देश्य म्युनिसिपल शासन जैसे प्रशासनिक ढांचे, वित्त तथा प्रचालन के कार्मिक विवरण से संबंधित सूचना के प्रकाशन के माध्यम से नगर पालिकाओं की कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता व जवाबदेही स्थापित करना है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में जन-प्रकटन नियम (पब्लिक डिस्कलोज़र लॉ – पी.डी.एल.) को लागू करने की परिकल्पना, सभी हितधारकों को तिमाही कार्य-प्रदर्शन की सूचना जारी करने की

सुनिश्चितता के लिए किया गया है।

टी.ए.जी. के अनिवार्य अंगों में उनके प्रभाव की जांच करने के लिए बिल/नियम के प्रारूप का विश्लेषण शामिल है तथा क्या वे अभियान के अंतर्गत उपलब्ध रूपरेखा अर्थात् न केवल पत्रों बल्कि भाव के अनुसार गठित है।

टी.ए.जी.समन्वय प्रकोष्ठ, तकनीकी सलाहकार समूह जे.एन.एन.यू.आर.एम. कमरा 201, द्वितीय तल जी विंग एन.बी.ओ.बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110001 फोन – 011-23061375	राष्ट्रीय समन्वयक राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान कोर 4 बी, प्रथम एवं द्वितीय तल भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड नई दिल्ली – 110003 फोन न. 011-24617517, 24617543 एक्सः 212

राष्ट्रीय टी.ए.जी. के सदस्यः

अध्यक्ष

श्री रमेश रामानाथन, (सह-संस्थापक नागरिकता व प्रजातंत्र हेतु जनाग्रह केन्द्र, बैंगलोर)

सदस्य

प्रो.ओ.पी.माथुर, (प्रमुख परामर्शदाता, एन.आई.पी.एफ.पी., नई दिल्ली)

श्रीमती शीला पटेल, (निदेशक, एस.पी.ए.आर.सी.मुम्बई)

श्री के.सी.सिवारामाकृष्णन, (भूतपूर्व सचिव, श.वि.मं. तथा अध्यक्ष, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली)

श्री वासीमलाई, (कार्यपालक निदेशक, डी.एच.ए.एन.फाउण्डेशन, मदुरै)

प्रो. आर.वी.रामाराव, (निदेशक, आई.डी.पी.एस., विशाखापत्तनम)